न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 35/2024

जी.सी.एम.एस. : 2024/338

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
सौरभ धारीवाल पुत्र सज्जनराज धारीवाल जाति जैन निवासी गजानन्द नगफ फ्लेट नम्बर 1 महालक्ष्मी एम्पायर तहसील पाली जिला पाली		1. कैलाश पुत्र दुर्गाराम जाति घांची निवासी ग्राम भिमालिया, तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली 2. बाबुलाल पुत्र दुर्गाराम जाति घांची निवासी भिमालिया, तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली 3. मंजु पुत्री दुर्गाराम जाति घांची निवासी ग्राम भिमालिया, तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली 4. रमेश पुत्र दुर्गाराम जाति घांची निवासी ग्राम भिमालिया, तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली 5. तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन जरिये राजस्थान सरकार

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956"

उपस्थित :–

1. अपीलाण्ट सौरभ धारीवाल, स्वयं उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

–: निर्णय :–

दिनांकः– 11/12/2024

अपीलाण्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा ग्राम भिमालिया के नामान्तरकरण संख्या 1239 दिनांक 11.07.2022 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से लगायत 4 बावजूद सम्मन तामीली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

अपीलाण्ट ने लिखित बहस पेश एवं दौराने बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया ग्राम भिमालिया तहसील मारवाड़ जंक्शन की जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार खसरा संख्या 684/4 रकबा 2.3364 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम व खसरा संख्या 688/4 रकबा 2.5925 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम के तत्कालीन खातेदार रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से लगायत 4 के पिता दुर्गाराम पुत्र केसाराम कौम घांची निवासी

अति. जिला कलेक्टर, पाली

भिमालिया थे। दुर्गाराम ने उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजी का बेचान अपीलाण्ट के पक्ष में जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 29.03.2019 के द्वारा कर दिया। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से लगायत 4 के पिता दुर्गाराम फौत होने पर रेस्पोडेण्ट ने विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करवाने हेतु रेस्पोडेण्ट संख्या 5 के समक्ष आवेदन पेश कर दिनांक 11.07.2022 को विरासत का नामान्तरकरण विधिविरूद्ध तरीके से स्वीकृत करवा लिया। अपीलाण्ट द्वारा कामकाज के सिलसिल में बाहर जाने से उक्त विक्रय विलेख का नामान्तरकरण दर्ज करवाने हेतु आवेदन नहीं कर पाया। परन्तु नियम 141 के तहत उप पंजीयन अधिकारी को उक्त पंजीयन दस्तावेज की प्रति तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को भेजकर नामान्तरकरण अपीलाण्ट के पक्ष में करवाना चाहिये था, जो नहीं हुआ। दुर्गाराम ने फौत होने से पूर्व जैर आराजी का बेचान अपीलाण्ट के पक्ष में कर दिया था उसके उपरान्त रेस्पोडेण्ट संख्या 5 ने नियमों की पालना नहीं करते हुये विरासत का अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज कर दिया इसलिये उक्त नामान्तरकरण शुन्य है व अपीलाण्ट के हितों के विरूद्ध है। इसलिये विधिविरूद्ध स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरकरण को खारिज फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अतः ज़ैर अपील नामान्तरकरण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों, मूल नामान्तरकरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा ग्राम भिमालिया के नामान्तरकरण संख्या 1239 दिनांक 11.07.2022 के विरूद्ध पेश की है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में अपीलाण्ट के कथनों पर गौर किया गया। नामान्तरकरण से अपीलाण्ट के हक अधिकार प्रभावित होते है तथा जहां किसी व्यक्ति के हक अधिकारों का प्रश्न हो, वहां पर म्याद का बिन्दु गौण हो जाता है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाकर श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 29.03.2019 के अनुसार ग्राम भिमालिया के खसरा संख्या 684/4 रकबा 2.3364 हैक्टर एवं खसरा संख्या 688/4 रकबा 2.5925 हैक्टर कुल खसरा 2 रकबा 4.9289 हैक्टर भूमि का बेचान दुर्गाराम ने अपीलाण्ट सौरभ धारीवाल के पक्ष में कर दिया, जिसका कब्जा क्रेता द्वारा खरीदकर्ता को सुर्पूद कर दिया गया है।

हस्तगत प्रकरण में विवादस्त नामान्तरकरण का अवलोकन करने पर यह पाते है कि पटवारी ने खातेदार दुर्गाराम फौत होने से उनके जायन्दा वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज कर वास्ते जांच एवं निर्णय हेतु पेश किया, जिसे अंकन पत्रों से मिलान किये जाने से इन्द्राज सही होने पर जैर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के जैर नामान्तरकरण की प्रति के अवलोकन से यह महसूस होता है कि अपीलाण्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर कोई अवसर नहीं दिया।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अपीलाण्ट का कथन है कि प्रश्नगत भूमि उन्होनें तत्कालीन खातेदार दुर्गाराम से जरिये बेचान खरीद की थी, जिसके अनुसार उक्त आराजी का नामान्तरकरण अपीलाण्ट के पक्ष में भरा जाना चाहिए था जबकि दुर्गाराम फौत हो जाने पर उनके वारिसान रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 ने विधिविरूद्ध तरीके से जैर नामान्तरकरण स्वीकृत करवा दिया। प्रकरण के अवलोकन से प्रथम दृष्टतया यह प्रतीत होता है कि उक्त आराजी का रजिस्टर्ड बेचान होने के बावजूद भी रेस्पोडेण्ट ने फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज करवाया, जो विधिविरूद्ध है हालांकि नामान्तरकरण एक समरी प्रोसिडिंग है तथा नामान्तरकरण से अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, किन्तु नामान्तरकरण के द्वारा विधि विरूद्ध प्रविष्ठि को किसी भी रूप में न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में जो रजिस्टर्ड बेचान हुआ है, वह एक रजिस्टर्ड दतावेज है जो सक्षम न्यायालय से डिस्क्रेड़िट नहीं होने से आज भी प्रभाव में है। हस्तगत प्रकरण में रजिस्ट्री प्रभाव में होते हुए भी नामान्तरकरण दायर नहीं किया गया है, जो विधि विरूद्ध है तथा ऐसी स्थिति में अपीलाधीन नामान्तरकरण को कायम रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व हल्का पटवारी को उस नामान्तरकरण से संबंधित सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात सावधानीपूर्वक नामान्तरकरण की कार्यवाही करनी चाहिए, लेकिन हस्तगत प्रकरण में ऐसा महसूस होता है कि हल्का पटवारी एवं राजस्व कार्मिकों द्वारा ऐसी किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर जैर अपील नामान्तरकरण को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलाधीन नामान्तरकण को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा ग्राम भिमालिया के नामान्तरकरण संख्या 1239 दिनांक 11.07.2022 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए दस्तावेजो/साक्ष्य की जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 11/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली